न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या : अपील/डिक्री/टीए/970/2006/कोटा

फूल्दीलाल पुत्र तुलसीराम जाति मीणा निवासी ग्राम हनुवतखेडा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा।

....अपीलांट/प्रतिवादी

बनाम

मांगीलाल पुत्र गंगाराम **– मृतक (जरिये कायममुकाम)**
1. बाली बाई बेवा मांगीलाल
2. कलावती पुत्री मांगीलाल

–समस्त जाति मीणा निवासीगण ग्राम कुदायला तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा

....रेस्पोन्डेन्ट्स/वादीगण

खण्ड पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य
श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य

उपस्थितः–

श्री सी.पी.शर्मा, अधिवक्ता, अपीलांट।
श्री योगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट्स।

निर्णय

दिनांकः– 30–01–2020

यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में 'अधिनियम') के तहत राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा अपील सं. 75/2001 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14–11–2001 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय उपजिला कलक्टर रामगंजमण्डी के समक्ष हीरा बेवा धन्ना/वादी ने एक वाद अन्तर्गत अधिनियम की धारा 180 व 183 के तहत ग्राम हनवतखेडा तहसील रामगंजमण्डी स्थित वाद पत्र की चरण संख्या 1 में उल्लेखित विवादित आराजियात भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण घासीराम वगैरहा के विरूद्ध पेश किया। उक्त न्यायालय के समक्ष आलोच्य प्रकरण राजस्व

अपील प्राधिकारी कोटा के प्रतिप्रेषण आदेश से संस्थित किया गया। उक्त वाद पत्र विचारण न्यायालय ने अनुतोष सहित 7 विवाद्यक कर प्रत्येक विवाद्यक को पृथक–पृथक विरचित करते हुए आज्ञा दिनांक 10–05–2001 इस आशय के साथ पारित की कि प्रतिवादीगण प्रश्नगत रकबे पर बतौर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है, जिन्हें काबिज रहने का कोई अधिकार नहीं है। विवादित आराजियात की वादिया हीराबाई खातेदार थी, उसमें से आराजी खसरा संख्या 110 पर वादी संख्या 2 (1) मांगीलाल को बेचान तथा कब्जा दिया जाना जाहिर है। आराजी खसरा संख्या 110 पर वादी क्रम संख्या 2 (1) को खातेदार घोषित किया जाता है। राजस्व रेकार्ड में अमल करें। प्रतिवादीगण को बेदखल करें तथा वादी क्रम संख्या 2 (1) मांगीलाल को इस आराजी पर कब्जा दिया जावे। शेष आराजियात की खातेदार मृतका हीराबाई की पुत्रियों को घोषित किया जाता है जो कि रेकार्ड के अनुसार मेहताबबाई, केसरबाई, धापूबाई है। उक्त आज्ञा के विरूद्ध प्रथम अपीलीय न्यायलय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के समक्ष फूंदीलाल ने अपील पेश किए जाने पर न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 14–11–2005 पारित करते हुए अपील को खारिज कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को यथावत रखा। उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर अपीलार्थी/प्रतिवादी ने हस्तगत द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की।

3. हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस अपील के गुणावगुण पर सुनी।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट/प्रतिवादी ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय एवं डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका कथन है कि हीराबाई के कायममुकामान द्वारा कोई कार्यवाही करना नहीं चाहने बाबत पेश प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने एवं दावा अबेट होने के बाद उसे पुनः मांगीलाल के प्रार्थना पत्र पर उसे पक्षकार प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दावा अबेट होने के बाद मांगीलाल को पुनः नया वाद दायर करने का अधिकार नहीं था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 22 नियम 4 सीपीसी के प्रार्थना पर उक्त दावा को

पुनर्जीवित कर दावा डिक्री करने में भूल की है। उनका कहना है कि मूल वाद धारा 183 के तहत पेश किया गया जो कि एकपक्षीय निस्तारित हुआ, जिसमें आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के तहत पेश प्रार्थना पत्र निरस्त हो गया। उक्त स्थिति में तनकी संख्या 1 व 2 बाबत हीराबाई के बयान होने आवश्यक थे तथा हीराबाई के अलावा उक्त तथ्य को और कोई प्रमाणित नहीं कर सकता था। अतः हीराबाई को अपीलान्ट से जिरह करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। उनका आगे कहना है कि आदेश दिनांक 28-12-1977 का जो आदेश सेटअसाईड हो चुका था, इसलिए हीराबाई के द्वारा दिनांक 21-.1-1980 को उक्त तथाकथित विक्रय विलेख निष्पादित किया गया था, जिससे अपीलान्ट के अधिकार किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होते। क्योंकि अपीलान्ट ने उक्त भूमि पर सम्वत 2016 से बहैसियत मालिक एवं काबिज चला आ रहा है। यहीं नहीं हीराबाई द्वारा पेश वाद जो कि वर्ष 1977 में दायर किया गया था और वाद 12 वर्ष से अधिक मियाद अपीलान्ट के कब्जे की हो चुकी थी। अतः प्रत्यर्थी के विरूद्ध भी हीराबाई को विक्रय करने का अधिकार नहीं था तो उसके द्वारा निष्पादित विक्रय विलेख भी स्वतः ही निष्प्रभावी है। उनका आगे यह भी कहना है कि विक्रय विलेख सम्पादित होने के समय आराजी का कब्जा सुर्पुद नहीं किया गया। उनका तर्क है कि समस्त गवाहान के बयान पूर्व से पूर्व ही इन्तकाल हो चुका है। उनका तर्क है कि मामले में निष्पादित विक्रय विलेख केवल मात्र नुमायशी पत्र है। उक्त समस्त तथ्यात्मक व विधिक परिवेश में मामले में दोनों न्यायालय न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि के प्रावधानों के विपरीत पारित किए जाने के कारण अपास्त किए जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत द्वितीय अपील को स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 14-11-2005 व उपजिला कलक्टर रामगंजमण्डी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10-05-2001 को अपास्त करते हुए वादीगण के वाद को डिक्री किए जाने का निवेदन किया।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स/वादीगण ने अपीलार्थीगण की अपील का विरोध करते हुए दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों का समर्थन किया है। उनका कहना है कि जमाबंदी सम्वत 2021 से 2024

प्रदर्श–1 के अनुसार वादिया विवादित रकबे की खातदोर है। प्रदर्श–2 खसरा गिरदावरी सम्वत 2032–2035 में फसल दर्ज है तथा वादिनी खातेदार दर्ज है। जमाबंदी सम्वत 2015–2018 में वादिनी खातेदार दर्ज है। इसके अतिरिक्त प्रदर्श–3 खसरा गिरदावरी सम्वत 2016–2019 में खसरा संख्या 58 फूदिया व घासी जैली दर्ज है तथा खसरा संख्या 60 पर घासी उपकृषक दर्ज है तथा खसरा संख्या 110 पर जैली उर्फ फूदिया घासी मीना दर्ज है। अतः किसी भी रेकार्ड से यह प्रदर्शित नहीं होता है कि वादिया ने प्रतिवादीगण को प्रश्नगत रकबे को काश्त पर दिया था। इसके विपरीत प्रतिवादीगण यह साबित करने में असफल रहे कि प्रश्नगत रकबे को उनके द्वारा क्रय किया गया है। उनका तर्क है कि चूँकि वादी विधवा है तथा विधवा की खातेदारी की आराजी पर उपकाश्तकार को खातेदारी अधिकार नहीं दिए जा सकते। उक्त परिवेश में यदि प्रतिवादीगण द्वारा आराजी का जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख द्वारा क्रय नहीं किया गया है तो उन्हें किसी भी नियमों के तहत खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते। उनका आगे तर्क है कि प्रश्नगत रकबे पर प्रतिवादीगण की हैसियत कब्जेधारी की है तथा खसरा संख्या 110 की भूमि को वादी मांगीलाल ने हीराबाई से पंजीकृत विक्रय विलेख से क्रय किया है तथा मांगीलाल आराजी पर काबिज भी रहा है। उनका यह भी तर्क है कि मामले में वांछित पटवारी रिपोर्ट दिनांक 01–04–1986 के पठन से सिद्ध है कि प्रश्नगत रकबे पर वादी मांगीलाल काबिज रहा है तथा उपजिला कलक्टर रामगंजमण्डी के पत्र दिनांक 25–03–1986 की पालना में दिनांक 01–04–1986 को मांगीलाल की सर्पुर्दुगी वाली भूमि की नीलामी की कार्यवाही सम्पादित की गई। उनका आगे तर्क है कि प्रतिवादीगण द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रदर्शित नहीं की है, जिसके अनुसार यह पाया जाता हो कि आराजी को प्रतिवादीगण द्वारा वादी से क्रय किया है। यहीं नहीं मौखिक गवाहान ने अपने बयानों में आराजी को क्रय करने का स्पष्ट कथन नहीं करते है। इसके अतिरिक्त रेकार्ड आफ राईटस जमाबंदी में प्रतिवादी के कब्जे बाबत कोई उल्लेख नहीं है। आगे तर्क है कि पूर्व प्रकरण खारिज होने तथा प्रतिप्रेषण की कार्यवाही के दौरान प्रतिवादीगण को अपना पक्ष रखने के लिए समुचित अवसर प्रदान किया गया है। किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा कोई ऐसे दस्तावेज न्यायलय के समक्ष पेश नहीं किए, जिससे कि उनके प्रतिवाद की पुष्टि

होती हो। उक्त स्थिति के परिप्रेक्ष्य में प्रथम दृष्टया यह प्रमाणित है कि प्रश्नगत रकबे पर प्रतिवादीगण केवल मात्र अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है। उक्त स्थिति के परिप्रेक्ष्य में वादी ने अपने वाद को समुचित प्रलेखीय साक्ष्य से प्रमाणित कराने में सफल रहे है। उक्त परिवेश में मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय विधि के परिप्रेक्ष्य में उचित है तथा जिनमें हस्तक्षेप करने के कोई ठोस कारण अपीलार्थीगण ने प्रदर्शित नहीं किए है। अन्त में उन्होंने अपील खारिज दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को यथावत कायम रखे जाने का निवेदन किया।

6. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समग्र रेकार्ड का गहन परीक्षण, दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मूल्यांकन किया।

7. दोनों अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों एवं पारित किए गए निर्णयों के प्रकाश में यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत रकबे पर प्रतिवादीगण की हैसियत केवल मात्र अतिक्रमी की सिद्ध होती है। प्रकरण की वस्तुस्थिति इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय उपजिला कलक्टर रामगंजमण्डी के समक्ष हीरा बेवा धन्ना/वादी ने एक वाद अन्तर्गत अधिनियम की धारा 180 व 183 के तहत ग्राम हनवतखेडा स्थित विवादित आराजियात भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण घासीराम वगैरहा के विरूद्ध पेश किया। उक्त न्यायालय के समक्ष आलोच्य प्रकरण राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के प्रतिप्रेषण आदेश से संस्थित किया गया। उक्त वाद पत्र में विचारण न्यायालय ने अनुतोष सहित 7 विवाद्यक कर प्रत्येक विवाद्यक को पृथक-पृथक विरचित करते हुए आज्ञा दिनांक 10-05-2001 इस आशय के साथ पारित की कि प्रतिवादीगण प्रश्नगत रकबे पर बतौर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है, जिन्हें काबिज रहने का कोई अधिकार नहीं है। विवादित आराजियात की वादिया हीराबाई खातेदार थी, उसमें से आराजी खसरा संख्या 110 पर वादी संख्या 2 (1) मांगीलाल को बेचान तथा कब्जा दिया जाना जाहिर है। आराजी खसरा संख्या 110 पर वादी क्रम संख्या 2 (1) को खातेदार घोषित

किया जाता है। राजस्व रेकार्ड में अमल करें। प्रतिवादीगण को बेदखल करें तथा वादी क्रम संख्या 2 (1) मांगीलाल को इस आराजी पर कब्जा दिया जावे। शेष आराजियात की खातेदार मृतका हीराबाई की पुत्रियों को घोषित किया जाता है जो कि रेकार्ड के अनुसार मेहताबबाई, केसरबाई, धापूबाई है। जिसके विरूद्ध प्रथम अपीलीय न्यायलय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के समक्ष फूंदीलाल ने अपील पेश किए जाने पर न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 14–11–2005 पारित करते हुए अपील को खारिज कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को यथावत रखा।

8. उपलब्ध रेकार्ड से यह परिलक्षित होता है कि जमाबंदी सम्वत 2021 से 2024 प्रदर्श–1 के अनुसार वादिया विवादित रकबे की खातेदार है। प्रदर्श–2 खसरा गिरदावरी सम्वत 2032–2035 में फसल दर्ज है तथा वादिनी खातेदार दर्ज है। जमाबंदी सम्वत 2015–2018 में वादिनी खातेदार दर्ज है। इसके अतिरिक्त प्रदर्श–3 खसरा गिरदावरी सम्वत 2016–2019 में खसरा संख्या 58 फूदिया व घासी जैली दर्ज है तथा खसरा संख्या 60 पर घासी उपकृषक दर्ज है तथा खसरा संख्या 110 पर जैली उर्फ फूदिया घासी मीना दर्ज है। अतः किसी भी रेकार्ड से यह प्रदर्शित नहीं होता है कि वादिया ने प्रतिवादीगण को प्रश्नगत रकबे को काश्त पर दिया था। इसके विपरीत प्रतिवादीगण यह साबित करने में असफल रहे कि प्रश्नगत रकबे को उनके द्वारा क्रय किया गया है। चूँकि वादी विधवा है तथा विधवा की खातेदारी की आराजी पर उपकाश्त करने वाले व्यक्ति को नियमानुसार खातेदारी अधिकार नहीं दिए जा सकते। उक्त परिवेश में यदि प्रतिवादीगण द्वारा आराजी का जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख द्वारा क्रय नहीं किया गया है तो उन्हें किन्ही नियमों के तहत खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते। प्रश्नगत रकबे पर प्रतिवादीगण की हैसियत कब्जेधारी की प्रतीत होती है तथा खसरा संख्या 110 की भूमि को वादी मांगीलाल ने हीराबाई से पंजीकृत विक्रय विलेख से क्रय किया है तथा मांगीलाल आराजी पर काबिज भी रहा है। इसके अतिरिक्त मामले में वांछित पटवारी रिपोर्ट दिनांक 01–04–1986 के पठन से सिद्ध है कि प्रश्नगत रकबे पर वादी मांगीलाल काबिज रहा है तथा उपजिला कलक्टर रामगंजमण्डी के पत्र दिनांक 25–03–1986 की

पालना में दिनांक 01–04–1986 को मांगीलाल की सर्पुर्दुगी वाली भूमि की नीलामी की कार्यवाही भी सम्पादित की गई। सारांशतः प्रतिवादीगण द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रदर्शित नहीं की है, जिसके अनुसार यह पाया जाता हो कि आराजी को प्रतिवादीगण द्वारा वादी से क्रय किया है। यहीं नहीं मौखिक गवाहान ने अपने बयानों में आराजी को क्रय करने का स्पष्ट कथन नहीं करते है। इसके अतिरिक्त रेकार्ड आफ राईटस जमाबंदी में प्रतिवादी के कब्जे बाबत कोई उल्लेख नहीं है। रेकार्ड के अवलोकन से सिद्ध है कि पूर्व प्रकरण खारिज होने तथा प्रतिप्रेषण की कार्यवाही के दौरान प्रतिवादीगण को अपना पक्ष रखने के लिए समुचित अवसर प्रदान किया गया है। किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा कोई ऐसे दस्तावेज न्यायलय के समक्ष पेश नहीं किए, जिससे कि उनके प्रतिवाद की पुष्टि होती हो। उक्त स्थिति के परिप्रेक्ष्य में प्रथम दृष्टया यह प्रमाणित है कि प्रश्नगत रकबे पर प्रतिवादीगण केवल मात्र अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है। उक्त स्थिति के परिप्रेक्ष्य में वादी ने अपने वाद को समुचित प्रलेखीय साक्ष्य से प्रमाणित कराने में सफल रहे है। हमारे द्वारा उपलब्ध रेकार्ड का विधि की रोशनी में सम्यक परीक्षण किया गया तथा हम पाते है कि मामले में विचारण न्यायालय द्वारा पारित आज्ञा दिनांक 10–05–2001 विधि सम्मत है, जिसको अन्यथा सिद्ध करने बाबत अपीलार्थी द्वारा कोई नवीन तथ्य हमारे समक्ष प्रकट नहीं किए है।

9. उक्त विधि सम्मत तरीके से पारित किए गए निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलार्थी ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश करने पर आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित करते हुए न्यायालय ने अपील को अस्वीकार कर विचारण न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की है। हमारे द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील में दिए गए अभिमत का भी परीक्षण किया गया है। उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर आक्षेपित निर्णय विधिनुकूल पाये जाने के कारण ऐसे विधि सम्मत निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी/प्रतिवादी द्वारा पेश द्वितीय अपील सारहीन होना प्रकट होती है।

10. हस्तगत प्रकरण में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने विधि सम्मत समवर्ती निष्कर्ष अंकित किए है तथा वर्तमान में उपलब्ध स्थापित सिद्धान्तों के अनुसार समवर्ती निष्कर्षो में तब तक हस्तक्षेप नहीं किया

जाना चाहिए जब तक कि पारित किए निर्णय में विधि की भावना के विपरीत निर्णय पारित किया गया हो। परन्तु वर्तमान में प्रकरण में पारित आक्षेपित निर्णय विधायिका की भावना के अनुसरण में पारित किए जाने के कारण ऐसे निर्णय के विरूद्ध द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। तदनुसार आक्षेपित निर्णय व डिक्री विधि सम्मत पाये जाने के कारण उसके विरूद्ध पेश की गयी द्वितीय अपील स्वतः ही सारहीन/बलहीन होना दर्शित होती है। स्थिति यह प्रकट होती है कि अपीलार्थी ने अपील मीमो में असंगत आधारों को अभिवचित करने के कारण उन्हें किसी प्रकार का अनुतोष देय नहीं है।

11. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर अपीलार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील सारहीन/बलहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14–11–2005 तथा उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10–05–2001 को यथावत बहाल रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार शर्मा)
सदस्य

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य